



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन-5/2022/डी-

दिनांक :- 14/6/22

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	105791	46	लक्ष्मण कॉलोनी	श्रीमती विमला अग्रवाल पत्नी श्री ओम प्रकाश अग्रवाल	श्रीमती सरोज अग्रवाल पत्नी श्री महेश चन्द अग्रवाल	मृत्यु प्रमाण पत्र व पंजीकृत हक त्याग त्याग पत्र
2.	105124	81	शांति नगर गर्जुर की थड़ी	श्रीमती अरिफा खान पत्नी स्व. श्री मो. जावेद खान	श्री मो. जावेद खान पुत्र श्री इकबाल खान	मृत्यु प्रमाण पत्र व पंजीकृत हक त्याग त्याग पत्र
3	86023	ई-20	राम नगर विस्तार	श्रीमती संतोष यादव पत्नी स्व. श्री गोपाल लाल यादव एवं श्री संजय यादव पुत्र स्व. गोपाल लाल यादव	श्री गोपाल लाल यादव पुत्र श्री नारायण यादव	मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा एवं शपथ पत्र
4	-	सी-84	श्याम नगर	श्रीमती रीना जैन पत्नी श्री विनीत गंगवाल	श्री चन्द्र सिंह पंवार पुत्र श्री सी एस पंवार	मूल दस्तावेज गुम होने बाबत
5	107999	ए-24 ए	गोविन्दपुरी	श्री अरुण कुमार गोस्वामी पुत्र स्व. श्री कल्याण दत्त गोस्वामी एवं श्रीमती अर्चना तैलंग पत्नी स्व. श्री अशोक	श्री राम अवतार शर्मा पुत्र श्री केशुराम जी	मृत्यु प्रमाण पत्र व पंजीकृत हक त्याग त्याग पत्र
6.	105714	41	भगवती नगर-I	श्रीमती खुशबू जिन्दगर पत्नी श्री साहिल जिन्दगर	श्री नागर मल गोयल पुत्र श्री गोपी किशन	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा
7.	108345	920	देवी नगर	श्रीमती ममता शर्मा पत्नी श्री बिमलेश कुमार शर्मा	श्री वाचस्पति शर्मा पुत्र श्री गंगाधर शर्मा	मृत्यु प्रमाण पत्र व पंजीकृत हक त्याग त्याग पत्र
8.	108373	सी-309	महेश नगर	श्री पवन दत्त पाण्डे व दीपक शर्मा पुत्रान् स्व. श्री रामजी लाल शर्मा	श्री रामजी लाल शर्मा पुत्र श्री शिवनाथ पाण्डे	मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा प्रमाण पत्र

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-5

उपायुक्त जोन-5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2563234) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (8250) : फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन-5/2022/डी-1738

दिनांक :- 20/6/22

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	-	सी-51	महेश नगर	श्री अविनाश पुत्र श्री सुभाष चन्द वर्मा	श्री अविनाश, अशोक कुमार एवं श्री आनन्द पुत्रान् श्री सुभाष चन्द वर्मा	मृत्यु प्रमाण पत्र व पंजीकृत हक त्याग त्याग पत्र
2.	-	97	पार्श्वनाथ कॉलोनी	श्रीमती मणी जैन पत्नी श्री राजकुमार जैन	श्री समीर मोहता पुत्र श्री दिनेश नारायण मोहता	मृत्यु प्रमाण पत्र
3.	85336	ई-108 बी	राम नगर विस्तार	श्री नवल किशोर ब्रह्मभट्ट पुत्र श्री भोमराज ब्रह्मभट्ट एवं श्रीमती ममता भट्टा पत्नी श्री नवल किशोर ब्रह्मभट्ट	श्री मोती लाल सैनी पुत्र श्री गोपी राम सैनी	समिति के मूल दस्तावेज नहीं होने बाबत
4.	12105	535	सूर्य नगर	श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र श्री मोहन सिंह	श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री एस एस रावत	अपंजीकृत इकरारनामा
5.	-	52	जे. पी. कॉलोनी	श्री श्रवण लाल वर्मा पुत्र श्री महादेव वर्मा	श्री सुजन पुत्र श्री सुक्खा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा
6.	-	52 ए	जे. पी. कॉलोनी	श्रीमती सोनी देवी पत्नी श्री अशोक कुमार	श्री सुजन पुत्र श्री सुक्खा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा
7.	108446	सी-389	महेश नगर	श्री विनोद राठी व सुनील राठी पुत्रान् स्व. श्री मदन लाल राठी	श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री मदन लाल	मृत्यु प्रमाण पत्र व पंजीकृत हक त्याग त्याग पत्र
8.	107539	ए-159 (पूर्वी भाग)	महेश नगर	श्रीमती मीनाक्षी गोयनका पत्नी श्री वेद प्रकाश अग्रवाल	श्री के. सी. वर्मा पुत्र स्व. श्री मूंगा राम वर्मा	मृत्यु प्रमाण पत्र व पंजीकृत हक त्याग त्याग पत्र
9.	107543	ए-159 (पश्चिमी भाग)	महेश नगर	श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री रमेश चन्द मीणा	श्री के. सी. वर्मा पुत्र स्व. श्री मूंगा राम वर्मा	मृत्यु प्रमाण पत्र व पंजीकृत हक त्याग त्याग पत्र
10.	103285	119	निर्माण नगर-सी	श्रीमती कविता चतुर्वेदी पत्नी स्व. श्री संजय चतुर्वेदी	श्री संजय चतुर्वेदी पुत्र स्व. श्री चतुर्भुज चतुर्वेदी	मूल दस्तावेज गुम होने बाबत
11.	99944	ई-22	राम नगर विस्तार	श्री फूल चन्द शर्मा पुत्र श्री देवी प्रसाद शर्मा	श्री रामसिंह चौधरी पुत्र श्री सूरजभान सिंह चौधरी	अपंजीकृत दस्तावेज

PRD/K-697
21/6/2022

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-5

उपायुक्त जोन-5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2563234) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250}; फैक्स - +91-141-2574555

पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

संख्या 1-1426

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

दिनांक 20-6-2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना बालाजी विहार-4 व गणेश विहार-5 के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टे.)	स्वामित्व
ग्राम बडारामा उर्फ पीथावास तहसील जयपुर	70	1.0370	बद्री पुत्र चन्दा हि. पूर्ण जाति अहीर (यादव) सा.देह खातेदार
	71	0.5185	1. घासी पुत्र प्रताप हि. 1/2 जाति अहीर (यादव) सा.देह खातेदार
	72	0.3541	2. जयपुर विकास प्राधिकरण हि. 25/36 संस्था के लिए
	77	0.0379	3. पांचूराम पुत्र रतना हि. 1/9 जाति अहीर (यादव) सा.देह खातेदार
	87	0.1391	4. रूडाराम पुत्र रतना हि. 1/9 जाति अहीर (यादव) सा.देह खातेदार
	73	0.4047	1. जयपुर विकास प्राधिकरण हि. 1/3 संस्था के लिए
	80	0.1897	2. पांचूराम पुत्र रतना हि. 1/3 जाति अहीर (यादव) सा.देह खातेदार
	82	0.1518	3. रूडाराम पुत्र रतना हि. 1/3 जाति अहीर (यादव) सा.देह खातेदार
	85	0.1012	
	88	0.0253	
	89	0.3288	
	78	0.1391	1. घासी पुत्र प्रताप हि. 1/4 जाति अहीर (यादव) सा.देह खातेदार
	79	0.2909	2. जयपुर विकास प्राधिकरण हि. 1/2 संस्था के लिए
	81	0.1897	3. सुवालाल सैनी पुत्र मंजी सैनी हि. 1/4 जाति माली सा. निवारु खातेदार
	83	0.1518	
	84	0.3035	
	86	0.0759	
	90	0.2909	
	93	0.0632	
	94	0.1518	
	92	0.2023	
	95	0.035	1. धन्नाराम पुत्र रतना हि. 1/3 जाति अहीर (यादव) सा.देह खातेदार
			2. पांचूलाल पुत्र रतना हि. 1/3 जाति अहीर (यादव) सा.देह खातेदार
			3. रूडाराम पुत्र रतना हि. 1/3 जाति अहीर (यादव) सा.देह खातेदार
	कुल किता 22	कुल 5.4507 हेक्टे.	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में कमरा न. 308, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जॉन-12 जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2022/डी-2603

दिनांक-20.16.12022

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	समिति का नाम/निजी खातेदारी/जविप्रा	योजना का नाम
1.	बी-181	श्रीमती विनोद बाला पत्नी श्री रिषिराज शर्मा	जविप्रा	बक्सावाला
2.	सी-96	श्री जयप्रकाश डंग	निजी खातेदारी	कनक वाटिका-डी

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

21/6/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

0.1413

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी-1413

दिनांक 20/6/22

:- सार्वजनिक सूचना :-

गैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की आवासीय योजना कमला नगर के भूखण्ड संख्या 16 क्षेत्रफल 336.38 व.ग. का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.)	योजना का नाम	मूल आवंटी का नाम	प्रथम से विक्रय संबंधित अन/रजिस्टर्ड दस्तावेजों की चैन का विवरण	अंतिम आवंटी पट्टा धारक का नाम
1	16	336.38	कमला नगर	नर्बदा देवी शर्मा पत्नी श्री सावर मल शर्मा	प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्रानुसार श्रीमती नर्बदा देवी की दिनांक 22.01.2016 को मृत्यु हो गयी। अपलोड अपंजीकृत अन्तिम वसीतनामा के अनुसार अपने पुत्र श्री महेश कुमार शर्मा पुत्र सावरमल शर्मा को दिनांक 21.11.2015 को कर दी गई।	श्री घासीराम गोलाडा पुत्र श्री गोपाल लाल गोडाला, निवासी-गजाधरपुरा मोड, मालीवाडा कालवाड रोड, जयपुर।

आप द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र व अपंजीकृत अन्तिम वसीतनामा के आधार पर लीजडीड करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।
- श्री घासीराम गोलाडा पुत्र श्री गोपाल लाल गोडाला, निवासी-गजाधरपुरा मोड, मालीवाडा कालवाड रोड, जयपुर राज. को प्रेषित कर लेख है कि उक्त राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवा गई है जिसके आप <https://jda.urban.rajasthan.gov.in/> पर से प्राप्त कर निर्धारित समय अवधि के पश्चात प्रति अपलोड करें, तथा साथ ही इस आशय का शपथ पत्र पेश करें कि आज दिनांक तक प्रश्नगत भूखण्ड के संबंध में इकरारनामा/विक्रय पत्र नहीं किया गया है।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555

**विज्ञप्ति**

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	गृ. नि. स. सं.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	61	शिव शक्ति	जैम विहार	श्रीमती सुदर्शन कुमारी पत्नी श्री योगेश कुमार	लीजधारिका श्रीमती अर्चना शाह पत्नी श्री अशोक शाह	लीजधारिका का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 28.09.2009 रजिस्टर्ड हकत्याग दिनांक 23.02.2010 एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.02.2012 आदि।
2	54-ए	न्यू पिकसिटी	सिद्धार्थ नगर-सी	श्रीमती सुनीता गंगवाल पत्नी श्री राहुल गंगवाल	लीजधारिका श्रीमती सुनीता गंगवाल पत्नी श्री राहुल गंगवाल	ऑनलाईन गुमशुदगी की रिपोर्ट दि: 01.03.2022 एवं पूर्व में जारी लीजडीड जयपुर उप पंजीयक चतुर्थ के यहां से प्राप्त प्रतिलिपि आदि।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।
- सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

प्रशर-699
21/6/22



क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी-1221

दिनांक 21/6/2022

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड संख्या 176 सुन्दर विहार, बदनपुरा (फकीरों की ढूंगरी) का पट्टा जारी किये जाने हेतु श्री रघुराज सिंह चौहान पुत्र श्री मदन सिंह चौहान द्वारा सहकारी समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र के आधार पर आवेदन किया गया है।

अतः उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/पट्टा जारी किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नं. पीवी-एसएफ- 218डी में दर्ज करावे। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में एकतरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावे।

21.6.22

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।



कमांक: (मुहाना आईडी-123)जविप्रा/जोन-11/2022/डी- ५९५

दिनांक: 14/4/22

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री मंगतूलाल महमवाल, श्रीमती अमिता महमवाल पत्नी स्व. श्री मनमोहन महमवाल, श्रीमती नेहा दत्त पुत्री स्व. श्री मनमोहन एवं श्री मोहित महमवाल पुत्र स्व. श्री मनमोहन महमवाल द्वारा आवंटी श्री मनमोहन महमवाल के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा प्रमाण पत्र के आधार पर रिंग रोड परियोजना ग्राम मुहाना के निम्न भूखण्डों पर नाम प्रतिस्थापन किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है:-

क.सं.	भूखण्ड सं.	क्षेत्रफल
1	11/ओई/275	12.50 वर्गमीटर
2	11/ओसी/68	1250 वर्गमीटर
3	11/ओसी/69	1250 वर्गमीटर
4	11/ओसी/51	627 वर्गमीटर
5	11/ओसी/52	627 वर्गमीटर
6	11/ओसी/53	627 वर्गमीटर
7	11/ओसी/54	627 वर्गमीटर

उपरोक्त वर्णित भूखण्डों का आवंटन पत्र जोन के पत्र कमांक डी-365 दिनांक 23.10.2012 को श्री सागरमल मेहता पुत्र श्री अमीरमल मेहता, श्री रणवीर सिंह, श्री अनिल पुत्र श्री सागरमल मेहता, श्री मनमोहन महमवाल पुत्र श्री मंगतूलाल महमवाल, श्रीमती सीमा कार्स्टिया पत्नी श्री प्रदीप कार्स्टिया एवं श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री ताराचंद के पक्ष में जारी किया गया था। उप रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु नगर निगम, जयपुर द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार श्री मनमोहन महमवाल पुत्र श्री मंगतूलाल महमवाल की मृत्यु दिनांक 27.05.2012 को हो चुकी है।

अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा प्रमाण पत्र के आधार पर उपरोक्त वर्णित भूखण्डों पर स्व. श्री महमोहन महमवाल के हिरसे पर नाम प्रतिस्थापन किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन से 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को जोन कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त अवधि पश्चात् प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही संपादित कर दी जावेगी।

उक्त विज्ञप्ति आज दिनांक 14/4/22 मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई है।

उपायुक्त/जोन-11
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री मंगतूलाल महमवाल, श्रीमती अमिता महमवाल पत्नी स्व. श्री मनमोहन महमवाल, श्रीमती नेहा दत्त पुत्री स्व. श्री मनमोहन एवं श्री मोहित महमवाल पुत्र स्व. श्री मनमोहन महमवाल, निवासी-53/286, एसबी-36, भवानी सिंह रोड, जयपुर को लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका अथवा दैनिक भास्कर में प्रकाशित करवाते हुए समाचार पत्र को प्रति प्रकाशन तिथि से 7 दिवस की अवधि के पश्चात् प्रस्तुत करें।

उपायुक्त/जोन-11,
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

क्रमांक:- जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2022/डी-3126 दिनांक:- 06.06.22

-:सूचना:-

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह-खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्री विनोद कुमार भाटिया पुत्र श्री नन्द लाल (हसनपुरा-ए गृ.नि.स.समिति की योजना क्षीर सागर)	128	127.77
2	रिद्धम भाटिया पुत्री श्री विनोद कुमार भाटिया (हसनपुरा-ए गृ.नि.स.समिति की योजना क्षीर सागर)	131	179.59
3	श्रीमती बृजलता वर्मा पुत्री लखन लाल वर्मा (हसनपुरा-ए गृ.नि.स.समिति की योजना क्षीर सागर)	126	127.77
4	श्रीमती बृजलता वर्मा पुत्री लखन लाल वर्मा (हसनपुरा-ए गृ.नि.स.समिति की योजना क्षीर सागर)	126 A	127.77
5	श्री कल्याण सहाय डोडवाडिया पुत्र श्री गोविन्द राम (हसनपुरा-ए गृ.नि.स.समिति की योजना सुखिजा विहार-ए)	65	311.66
6	श्री हरीश कुमार पुत्र श्री वासुमल (मित्र गृ.नि.स.समिति की योजना महिमा नगर)	119 A	50.00

॥
उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित कराने का श्रम करें। विज्ञप्ति प्रकाशन की राशि स्वयं भूखण्डधारी वहन करेंगे।
- को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र प्रकाशित हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से सम्पर्क कर विज्ञप्ति प्रकाशित करावें।

नोट:- विज्ञप्ति प्रकाशन में कार्यालय का सम्पूर्ण पता तथा विज्ञप्ति आवश्यक रूप से 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाई जावें। उक्त की पूर्ति नहीं होने पर विज्ञप्ति मान्य नहीं होगी।

॥
उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

7th Floor
Ajanta Mahal

क्रमांक:- जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2022/डी-3249 दिनांक:-17-6-2022

-:सूचना:-

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह-खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्रीमती सुनीता सोनी पत्नी श्री रामबाबू सोनी (कीर्ति नगर कॉ.ओ.हा.सो.लि. की योजना परसराम नगर)	07	208.97
2	श्री विक्रम पाल सिंह पुत्र स्व. श्री धर्मचन्द (कीर्ति नगर कॉ.ओ.हा.सो.लि. की योजना परसराम नगर)	17	215.13

उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

N.P.-V.N.



क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी-1755

दिनांक 20/6/2022

सार्वजनिक सूचना

ग्राम मोहनपुरा तह0 सांगानेर के खसरा नम्बर 293, 289/576, 290, 294, 295, 296, 291, 297, 298 कुल किता 09 कुल रकबा 12.96 है0 की खातेदारी श्री कानाराम, राधेश्याम, सीताराम, हरिनारायण, बिहारी लाल पि0 हरिकिशन जाती जाट हरिकिशन पुत्र मांगूराम, श्रीमती केसर देवी पत्नी श्री हरिकिशन द्वारा भूमि को आवासीय उपयोग हेतु रूपान्तरण करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर कार्यालय द्वारा उक्त खसरा नम्बरान् की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 90 ख (3) की उपधारा 6 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 (II) के तहत उक्त भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार उत्पन्न होने से खातेदारान् द्वारा समर्पित भूमि की अन्तर्गत धारा 90 बी (3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के आदेश प्रकरण संख्या 41/2010 दिनांक 28.06.2010 को जारी की गई थी। खातेदार द्वारा उक्त खसरा नम्बरान् के साथ-साथ ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 287/587, 288/586, 289 कुल किता 03 कुल रकबा 3.10 है0 एवं खसरा नम्बर 287, 288, 288/588, 289/575 कुल किता 04 कुल रकबा 3.09 है0 भूमि में से जोनल विकास योजना-10 की प्रस्तावित 18 मीटर सड़कों का रीअलाइनमेंट करने हेतु निवेदन किया गया है।

जविप्रा की बीपीसी (एलपी) की 317वी बैठक दिनांक 13.05.2022 में लिये गये निर्णय अनुसार रीअलाइनमेंट 18 मीटर सेक्टर रोड़ों की क्रियान्विती हेतु किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा बाद-मियाद रीअलाइनमेंट 18 मीटर सेक्टर रोड़ों की क्रियान्विती कर दिया जावेगा। बाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

सचिव

जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. आयुक्त महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. सचिव महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान/बीपीसी-एल.पी.) जविप्रा, जयपुर।
5. राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र (राजस्थान पत्रिका एवं जयपुर महानगर टाईम्स) द्वारा विज्ञप्ति प्रस्तुतकर्ता से विज्ञापन शुल्क वसूल कर लिया जावे।
6. श्री मदन सिंह, गोपाल लाल, वृजेश पुत्र स्व0 श्री कानाराम, राधेश्याम, सीताराम, हरिनारायण, बिहारी लाल पि0 हरिकिशन जाती जाट हरिकिशन पुत्र मांगूराम, श्रीमती केसर देवी पत्नी श्री हरिकिशन निवासी- ग्राम सुखिया तहसील सांगानेर, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन बिन्दू संख्या 1 में वर्णित दैनिक समाचार पत्रों में करवाये एवं उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन 8 फॉण्ट साईज में करवायेगे यदि उक्तानुसार विज्ञप्ति का प्रकाशन नहीं करवाया गया हो तो वह मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

North
Amrit Mahal

क्रमांक:- जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2022/डी-3256 दिनांक:- 31.6.2022

-:सूचना:-

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह-खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	जितेन्द्र कुमार सचदेवा पुत्र श्री जयदयाल सचदेवा (बन्धु गृ.नि.स.स.लि. की योजना सागर एनक्लेव विस्तार)	01, 02, 03, 17, 18, 27, 27A, 28 & 29	2633.37

उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

N.P.-V.N.

मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020